न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी हँसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–140 / 2025 (2025 / 290)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गोपाराम पुत्र माधाराम 2. भूराराम पुत्र माधाराम 3. हिमताराम पुत्र माधाराम 4. हिरा पत्नी माधाराम सभी जातियान जाट निवासीगण शक्ति नगर कालीजाल तहसील झंवर जिला जोधपुर।		1. ओमप्रकाश पुत्र पूराराम 2. ढलाराम पुत्र पूराराम 3. दोलाराम पुत्र गंगाराम 4. पप्पाराम पुत्र गंगाराम 5. बोराराम पुत्र गंगाराम 6. भाकरराम पुत्र गंगाराम 7. सुआदेवी पत्नी पूराराम सभी जातियान मेघवाल निवासीगण शक्ति नगर कालीजाल तहसील झंवर जिला जोधपुर। 8. तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 7 और से अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिंह।
3. अप्रार्थी संख्या 8 की और से सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक :– 10.03.2026

1. पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 448 रकबा 17.5310 हैक्टेयर भूमि मौजा शक्ति नगर पटवार हल्का कालीजाल तहसील झंवर जोधपुर में आई हुई है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 445 रकबा 3.0756 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के पास आई हुई है। प्रार्थीगण को मुख्य सड़क से अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 448 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 445 में से होकर आना जाना पड़ता है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को अपने खेत में से आने जाने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है तथा आये दिन प्रार्थीगण को परेशान कर रहा है तथा रास्ता भी बंद कर देता है। इस कारण सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये भाग ए से बी अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 445 के कण व माठ के पास पास की भूमि में से प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 448 की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता दिये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। मुख्य मार्ग से खसरा नम्बर 445 के माठ माठ के आस पास से यह रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 448 की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु सबसे नजदीक रास्ता है तथा प्रार्थीगण को अपने खेत में ट्रेक्टर ले जाने लाने में बड़ी कठिनाई होती है, जब बारिश की फसल बोने जाते है तब अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में रूकावट पैदा करता है। प्रार्थीगण की अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से ही आना जाना रहता है परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि को बन्द कर दिया इस कारण प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रूकावट व बाधा उत्पन्न हो रही है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को आये दिन परेशान करते है तथा प्रार्थीगण जब भी उक्त रास्ते से होकर मुख्य मार्ग की तरफ गुजरते है तो अप्रार्थीगण मारने पीटने के लिए दौड़ता है तथा आये दिन झगड़ा–फसाद करता है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है जहां से प्रार्थीगण आवागमन करते है तथा प्रार्थीगण को खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। हाल ही में अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को बंद कर दिया। प्रार्थीगण को अपने खेत में

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

जाने के लिए भारी समस्या खड़ी हो गई। यही रास्ता निकटतम, लघुतम एवं सरल रास्ता है तथा कई बार उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया गया एवं उक्त रास्ते को भविष्य में नहीं खोलने की धमकी दी गई, जो विवाद निरन्तर जारी है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 448 से मुख्य सड़क पर जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 445 में से 30 फुट चौड़ा नजरी नक्शे में ए से बी भाग में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 448 में आने जाने के लिए कटाणी रास्ता दर्ज किये जाने आदेश फरमावें तथा उक्त कटाणी रास्ते की राशि प्रार्थीगण से नियमानुसार वसूली की जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक कटाणी रास्ता किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिह ने जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 व 2 सही होने से स्वीकार है तथा प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 448 में आने जाने के लिए जो रास्ते की मांग की गई है अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 445 में से जो मांग की गई है। वो गलत है क्योकि प्रार्थी के खसरा नम्बर 448 के रकबा एवम् नक्शा में ही विध्यमान खेत खसरा नम्बर 449 आया हुआ है जो प्रार्थी गोपाराम पुत्र माधाराम, भूराराम पुत्र माधाराम, हिम्मताराम पुत्र माधाराम एवम् हीरा पत्नि माधाराम के नाम दर्ज है जहां मौके पर मन्दिर बना हुआ है तथा खसरा नम्बर 449 एवम् खसरा नम्बर 448 दोनो एक ही नक्शे मे आये हुए है। जिनमें इन दोनो खसरों में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 451/1 में से होकर मौके पर रास्ता चल रहा है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जबकि मौके पर प्रार्थीगण के स्वंय के नाम से दो खसरे क्रमश खसरा नम्बर 448 एवम् खसरा नम्बर 449 आये हुए है। खसरा नम्बर 449 में मन्दिर बना हुआ है जिसमें आने जाने के लिये एक रास्ता गांव मे होकर खसरा नम्बर 450 में से माठ के पास बना हुआ है जिसके अलग से खसरा नम्बर 451/1 है जो गुगल नक्शे में स्पष्ट है। गुगल नक्शे की प्रति जवाब के साथ सलंग्न है। तथा गुगल मेप मे भी इसी अनुसार रास्ता मौके पर चल रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर गुगल मेप के अनुसार वर्तमान में मौके पर चल रहे रास्ते का उपयोग उपभोग करने का निवेदन किया है।

3. तहसीलदार झंवर के पत्रांक/कोर्ट/2025/285 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी गोपाराम वगैरा को अपनी खातेदारी जोत ग्राम शक्तिनगर खसरा संख्या 448 में आने जाने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा यह केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। प्रार्थीगण गोपाराम वगैरा को उपरोक्त अपनी खातेदारी जोत में प्रवेश करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 448 में प्रवेश करने के लिए प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 445 किस्म बारानी द्वितीय से गुजरता है जिसके खातेदार श्री ओमप्रकाश वगैरा है जिसकी नवीनतम जमाबंदी प्रति सलंग्न है प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 448 में प्रवेश हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 445 में से रास्ता दर्ज करने के अलावा अन्य कोई साधन अथवा विकल्प उपलब्ध नही है ग्राम शक्तिनगर के खसरा संख्या 445 में से प्रस्तावित रास्ता 20 फीट चौड़ा एवं 1010 फीट लम्बा है जिसका कुल क्षैत्रफल 20200 वर्गफीट (0.1876 हैक्टेयर) बनता है। यह रास्ता खसरा संख्या 445 की उत्तर दिशा की माठ के सहारे सहारे प्रस्तावित है जो ग्राम कालीजाल से रोहिंचा कंला जाने वाली डामर सड़क को जोड़ता है तथा लघुतम दूरी पर है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगणों द्वारा अपनी जोत खसरा संख्या 448 में आने जाने हेतु ग्राम शक्तिनगर के खसरा संख्या 348 किस्म

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

गै. मु. गोचर से स्वंय के खेत खसरा संख्या 448 में स्थित हनुमानजी के मंदिर तक आने जाने हेतु उपलब्ध रास्ते का उपयोग किया जा रहा है जिसकी लम्बाई लगभग 2 किसी है तथा इस रास्ते पर मुरड डालकर कच्ची सड़क का निर्माण किया हुआ है यह रास्ता खसरा संख्या 348 किस्म गै. मु. गोचर से प्रार्थीगणों के खेत खसरा संख्या 448 के मध्य अवस्थित खसरो के खातेदारों, प्रार्थीगणो एवं हनुमानजी के मंदिर के दर्शनार्थियों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में आज भी दर्ज नही है। रास्ता बनाना के अधीन अवधारित भूमि में 3 पेड़ खडा होना भी बताया गया है।

4. पत्रावली में अधिवक्ताओं की बहस सूनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 445 में से प्रस्तावित रास्ता 20 फीट चौड़ा एवं 1010 फीट लम्बा है जिसका क्षेत्रफल 20200 वर्गफीट (0.1876 हैक्टेयर) बनता है खसरा नम्बर 445 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे प्रस्तावित है जो ग्राम कालीजाल से रोहिचा कंला जाने वाली डामर सड़क को जोड़ता है तथा लघुतम दूरी पर स्थित है तथा रास्ते की प्रस्तावित भूमि पर तीन पेड़ भी खडे है इसके अतिरिक्त प्रार्थीगणो द्वारा अपनी जोत खसरा संख्या 448 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 348 किस्म गैर मुमकिन गोचर से स्वंय के खसरा नम्बर 448 में स्थित हनुमानजी के मंदिर तक आने जाने हेतु उपलब्ध रास्ते का 10 वर्षो से उपयोग किया जा रहा है तथा ग्रेवल सड़क का निर्माण होना बताया गया तथा उक्त मंदिर खसरा नम्बर 449 भी खसरा नम्बर 448 के मध्य स्थित है खातेदारो, प्रार्थीगणो एवं मंदिर के दर्शनार्थियो द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। अप्रार्थीगणो ने भी अपने जबाव में खसरा नम्बर 448 में आने जाने के लिये रास्ता खसरा नम्बर 451/1 में से होकर मौके पर चल रहा है खसरा नम्बर 449 में मंदिर बना हुआ है जिसमें आने जाने के लिये एक रास्ता गांव में से होकर खसरा नम्बर 450 में से माठ के पास बना हुआ बताया गया। इस् तरह से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधाजनक उपयोग के लिये रास्ता चाहा है परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण के जबाव अनुसार खसरा नम्बर 449 मंदिर जो कि प्रार्थी के खसरा संख्या 448 मे ही स्थित है वहां तक ग्रेवल सड़क के रूप में मौके पर रास्ता चलायमान होना साबित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना स्पष्ट है केवल सुविधा के लिए नया रास्ता दिया जाना उचित नही है। अतः इन परस्थितियों में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं से खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
उपखण्ड अधिकारी, लूणी